



2026:AHC:180776

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 30291 / 2026

आबिद @ बिलौरी

..... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... विरोधी पक्ष(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : अश्वनी कुमार, प्रतीक कुमार

विरोधी पक्ष(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 65

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री ए.के. मिश्रा और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. श्री राजीव धर द्विवेदी को सुना।
2. वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक को मुकदमा अपराध संख्या 152/2025 अंतर्गत धारा 191(2), 191(3), 190, 131, 125, 121(2), 132, 109(1), 103(1), 61(2), 50, 351(3) बी.एन.एस. और धारा 7 आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम, पुलिस स्टेशन - मसूरी, जिला - गाजियाबाद में विचारण लंबित के दौरान जमानत प्रदान करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की गई है।
3. हालांकि, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यह ऐसा मामला है जिसमें भीड़ द्वारा चलाई गई गोलीबारी में एक पुलिसकर्मी की मृत्यु हो गई और एक पुलिसकर्मी को गोली लगने से चोटें आईं, किन्तु आवेदक का नाम एफआईआर में नहीं है और एफआईआर में मात्र सह-अभियुक्त कादिर और उसके भाई का नाम है। किन्तु विवेचना के दौरान जब पुलिस ने सह-अभियुक्त कादिर का बयान दर्ज किया, तो उसने आवेदक का नाम बताया और सह-

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अभियुक्त कादिर के बयान और पुलिस के समक्ष आवेदक के संस्वीकृति के अतिरिक्त, आवेदक के विरुद्ध अभिलेख पर कोई साक्ष्य नहीं है।

4. हालांकि, उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि सह-अभियुक्त कादिर की जमानत याचिका को इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 3706/2020 में पारित आदेश दिनांक 16.04.2026 द्वारा खारिज कर दिया था, किन्तु आवेदक का मामला उससे भिन्न है क्योंकि उसका नाम एफआईआर में था और वह मुख्य अभियुक्त प्रतीत होता है और वह एक अन्य मामले में भी वांछित था।

5. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि वास्तव में पुलिसकर्मी सौरभ की मृत्यु कथित अभियुक्तों द्वारा पहुँचाई गई चोटों के कारण नहीं हुई, बल्कि पुलिसकर्मियों ने ही उसकी हत्या की थी। जब यह तथ्य उसके पिता को पता चला, तो उन्होंने नवंबर 2025 में पुलिसकर्मियों के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि हालांकि उनकी शिकायत खारिज कर दी गई, किन्तु इससे अभियोजन पक्ष के मामले पर गंभीर संदेह पैदा होता है।

6. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि विवेचना के दौरान आवेदक के साथ-साथ कई अन्य सह-अभियुक्तों को भी आरोपी बनाया गया था, किन्तु उन्हें इस न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा कर दिया गया है और उनके जमानत आदेश इस जमानत आवेदन के साथ संलग्न हैं और आवेदक का मामला उनके समान ही है।

7. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामले के अतिरिक्त आवेदक का 19 अन्य मामलों में भी आपराधिक इतिहास है, किन्तु उसके पूरे आपराधिक इतिहास का स्पष्टीकरण दिया गया है और अधिकतर मामलों में विवेचना के दौरान पुलिस ने उसे ही फंसाया है। यह तथ्य एक बार फिर इंगित करता है कि पुलिस आवेदक के प्रति अत्यधिक शत्रुतापूर्ण रवैया रखती है और यहां तक कि वर्तमान मामले में भी विवेचना के दौरान उपरोक्त शत्रुता के कारण ही आवेदक को अभियुक्त बनाया गया है।

8. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामले में भी आवेदक 10.07.2025 से अर्थात् पिछले एक वर्ष से अधिक समय से जेल/कारागार में है।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



9. इसके विपरीत, विद्वान एजीए ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया लेकिन आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तथ्यात्मक तर्कों का खंडन नहीं कर सके।
10. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना और मामले के अभिलेखों का परिशीलन किया।
11. हालांकि, यह एक ऐसा मामला है जिसमें आरोप के अनुसार, जब पुलिस सह-अभियुक्त कादिर को गिरफ्तार करने पहुंची तो उसके उकसावे पर भीड़ ने गोलीबारी की, जिसके कारण पुलिसकर्मी सौरभ की मौत हो गई और एक पुलिसकर्मी को गोली लगने से चोटें आईं, किन्तु इससे पता चलता है कि आवेदक का नाम एफआईआर में नहीं था।
12. इसके अतिरिक्त, अभिलेख से यह भी पता चलता है कि विवेचना के दौरान आवेदक का नाम सह-अभियुक्त के बयान के माध्यम से इस मामले में सामने आया है और सह-अभियुक्त के बयान और पुलिस के समक्ष आवेदक के संस्वीकृति के अतिरिक्त आवेदक के विरुद्ध अभिलेख पर कोई साक्ष्य नहीं है।
13. इसके अतिरिक्त, भले ही यह बात सामने आई हो, घटना का कोई सीसीटीवी फुटेज अभिलेख पर मौजूद नहीं है। बहस के दौरान विद्वान एजीए भी ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सके।
14. इसके अतिरिक्त, यह दर्शाता है कि मामले की गंभीरता पर विचार करते हुए सह-अभियुक्त कादिर की जमानत याचिका को इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने खारिज कर दिया है, किन्तु आवेदक का मामला उससे अलग है क्योंकि उसका नाम एफआईआर में दर्ज था।
15. इसके अतिरिक्त, यह विधि भी स्थापित है कि सह-अभियुक्त का बयान और पुलिस के समक्ष आवेदक का संस्वीकृति जमानत के चरण में भी स्वीकार्य नहीं है। (देखें: **पी. कृष्णा मोहन रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 1157**)।
16. इसके अतिरिक्त, यह दर्शाता है कि आवेदक का 19 मामलों का आपराधिक इतिहास है, किन्तु आवेदक के सम्पूर्ण आपराधिक इतिहास का विवरण इस जमानत आवेदन में दिया गया है। आवेदक के आपराधिक इतिहास पर विचार करने के बाद यह स्पष्ट होता है कि अधिकांश

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



मामलों में विवेचना के दौरान आवेदक को अभियुक्त बनाया गया है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए, आवेदक के अधिवक्ता द्वारा आवेदक को झूठे आरोप में फंसाए जाने के संबंध में दिए गए तर्क को इस स्तर पर खारिज नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, वर्तमान मामले में भी आवेदक 10.07.2025 से अर्थात् पिछले एक वर्ष से अधिक समय से जेल/कारागार में है।

17. इसके अतिरिक्त, इससे यह भी पता चलता है कि विवेचना के दौरान आवेदक के साथ-साथ कई अन्य सह-अभियुक्तों को भी आरोपी बनाया गया था और उन्हें इस न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा कर दिया गया है और आवेदक का मामला उनके समान ही है।

18. इसके अतिरिक्त, मामले के तथ्यों और आवेदक के एक वर्ष से अधिक समय तक कारावास में रहने को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य को देखते हुए कि इस न्यायालय द्वारा आवेदक के आपराधिक इतिहास के आधार पर ही कई अन्य सह-अभियुक्तों को जमानत पर रिहा किया जा चुका है, वर्तमान जमानत याचिका को रोकना उचित नहीं है।

19. सर्वोच्च न्यायालय ने **अयूब खान बनाम राजस्थान राज्य, 2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 3763** के मामले में पैराग्राफ-10 में निम्नलिखित टिप्पणी भी की:-

"10. अभियुक्त के आपराधिक इतिहास की मौजूदगी, उसकी जमानत याचिका पर निर्णय लेने के लिए विचारणीय कई कारकों में से एक है। किसी विशेष मामले में, यदि अभियुक्त प्रथम दृष्टया मजबूत मामला साबित करता है, तो तथ्यों और कारावास की अवधि के आधार पर, आपराधिक इतिहास की मौजूदगी जमानत से अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकती है। ऐसा भी मामला हो सकता है जहां न्यायालय मात्र लंबे कारावास के आधार पर जमानत दे सकता है। ऐसे मामले में आपराधिक इतिहास प्रासंगिक नहीं हो सकता है। किसी विशेष मामले में, न्यायालय डिफॉल्ट जमानत दे सकता है। ऐसे मामले में भी, अभियुक्त के आपराधिक इतिहास अप्रासंगिक होते हैं। इस प्रकार, विशिष्ट तथ्यों के आधार पर, न्यायालय आपराधिक इतिहास की मौजूदगी के बावजूद जमानत दे सकता है..."

20. अतः, ऊपर चर्चा किए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरी राय में, आवेदक जमानत पर रिहा होने का पात्र है।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



21. तदनुसार, मामले के गुण-दोषों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, वर्तमान जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

22. उपर्युक्त मामले में संलिप्त आवेदक - आबिद @ बिलौरी को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर व्यक्तिगत बंधपत्र और समान धनराशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये :-

(i) आवेदक निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो।

(ii) आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे कि वह न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से विमुख हो जाए या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ कर सके।

(iii) आवेदक किसी भी आपराधिक एवं असामाजिक गतिविधि में लिप्त नहीं होगा।

23. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, अभियोजन पक्ष आवेदक की जमानत निरस्त करने के लिए इस न्यायालय के समक्ष आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होगा।

24. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन के निस्तारण से संबंधित पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक ही सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का विचारण के दौरान मामले के गुण-दोषों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अगस्त 31, 2026

एके पाण्डेय

(न्यायमूर्ति समीर जैन)

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।